

2022/216

राजस्थान सरकार
आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

240

30/6/22

-:आदेश:-

59
2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नाथानाथ व भूअनि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ममरपुरा	45	मुरली कुम रामनाथ	मुरली धर उर्फ मुरली कुम रामनाथ ओफ इन्डियन भूधायक

(पीठासीन अधिकारी)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर

क्रमांक :- 244-42

दिनांक :- 30/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

30/6/22

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर